mPp f'k{kk d {k= e rduhdh ,o 0;kolkf;d ikB;dek d fy, 'k{kf.kd _.k ij C;kt vunku ;ktuk

;ktuk dk ik:Ik

1- Ikfjp;

राज्य के मानव संसाधन के विकास के लिए शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है । शिक्षा के क्षेत्र में व्यय में निरंतर वृद्धि हो रही है एवं उच्च शिक्षा, विशेषकर, तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठयक्रमों में छात्रों पर व्यय भार भी अत्यधिक है। केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों (अधिकतम वार्षिक आय रू. 4.5 लाख तक) से आने वाले तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठयक्रमों के शिक्षार्थियों के लिए एक नई योजना संचालित की जा रही है । इस योजना के अंतर्गत इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक ऋण योजना में मोरेटोरियम अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा शत प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है । परन्तु ऋण की मोरेटोरियम अवधि के प चात् किसी प्रकार का लाभ कमजोर वर्ग के छात्रों को नही मिल पा रहा है। तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठयक्रमों में शिक्षा ग्रहण करने वाले निर्धन परिवार के शिक्षार्थियों पर बैंकों द्वारा ली जाने वाली व्याज दर के भार को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा मोरेटोरियम अवधि के उपरांत ली जाने वाली ब्याज राशि में अनुदान की योजना बनाई गई है । यह योजना वित्तीय वर्ष 2012–13 से आरंभ होगी ।

2- ;ktuk dk mnns';%

शैक्षणिक ऋण में ब्याज अनुदान की योजना का उद्देश्य रू. 2.00 लाख तक की वार्षिक आय के परिवार से आने वाले तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठयक्रमों शिक्षार्थियों को मोरेटोरियम अवधि (पाठयक्रम की अवधि एवं नौकरी लगने के उपरांत एक वर्ष अथवा छः महीना जो भी पहले हो) के उपरांत नियमित भुगतान की स्थिति में ऋण राशि के ब्याज के भार में छूट प्रदान करना है । राज्य शासन की ब्याज अनुदान योजना का लाभ मोरेटोरियम अवधि के उपरांत भी शिक्षार्थियों द्वारा लिये गये ऋण पर आने वाले ब्याज भार कम करने के लिए रहेगा । मोरेटोरियम अवधि के उपरांत केवल 4 प्रतिशत की दर से ब्याज भार को शिक्षार्थियों द्वारा वहन किया जायेगा एवं बैंकों द्वारा लिये जाने वाले ब्याज दर के शेष का व्यय भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा ।

3- vgZrk%

3.1 छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए ।

3.2 परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 2.00 लाख रूपयें हो ।

3.3 छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित एवं सक्षम प्राधिकारी (यथा एआईसीटीई, यूजीसी) से मान्यता प्राप्त तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठयक्रमों में उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश लिया हो ।

3.4 ब्याज अनुदान किसी भी शिक्षार्थी को केवल एक बार प्रथम स्नातक/डिप्लोमा पाठयक्रम अथवा प्रथम स्नातकोत्तर पाठयक्रम के लिए ही दिया जायेगा ।

3.5 छत्तीसगढ़ के बाहर उच्च कोटि के राष्ट्रीय स्तर के ऐसे शैक्षणिक संस्थान जिन्हें राज्य शासन द्वारा इस योजना के लाभ हेतु अधिसूचित किया गया है, में किसी तकनीकी अथवा व्यावसायिक पाठयक्रम में प्रवेश लिया हो ।

4- vk; dk izek.k i=

योजना का लाभ अधिकतम (सभी स्रोतों से) रू. 2.00 लाख तक की वार्षिक आय से आने वाले शिक्षार्थियों को मिलेगा । राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा ।

5- _.k dh vf/kdre lhek

विभिन्न तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठयक्रमों के लिए निर्धारित फीस के अनुसार अधिकतम 4.00 लाख रूपयें तक की ऋण राशि पर ही योजना का लाभ मिल सकेगा ।

6- C;kt vuqnku dh vU; 'krsZ

6.1 शिक्षार्थियों को ऋण राशि की अदायगी नियमित रूप से संबंधित बैंक द्वारा निर्धारित समान मासिक किश्तों में करना अनिवार्य है । नियमित रूप से समय पर निर्धारित मासिक किश्त नहीं चुकाने पर राज्य शासन की ब्याज अनुदान योजना का लाभ नही मिलेगा ।

6.2 योजना का लाभ उन शिक्षार्थियों को नही मिलेगा जो बीच में पाठयक्रम में शिक्षा लेना छोड़ देते हैं अथवा जिन्हें अनुशासनिक आधार पर संस्थान द्वारा संस्थान से निकाल दिया जाता है ।

6.3 अपवाद की स्थिति में, केवल चिकित्सकीय आधार पर पाठयक्रम में निरंतरता बाधित होने पर (अधिकतम एक वर्ष तक के लिए) ब्याज अनुदान का लाभ मिल सकेगा तथा ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया चिकित्सकीय प्रमाण पत्र जो संबंधित संस्थान को जिसमें शिक्षार्थी अध्ययनरत है, मान्य हो ।

7- ;kstuk dk fdz;kUo;u%

राज्य शासन द्वारा वहन की जाने वाली ब्याज भार की राशि की प्रतिपूर्ति, बैंकों द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर, सीधे बैंकों को की जायेगी ।